

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

श्रेणी में,

ज़िला पदाधिकारी,
पटना।

पटना-15, दिनांक: 4 अक्टूबर, 2017

विषय:- भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों का राज्य भ्रमण के संबंध में।

प्रसंग:- विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक-Q/FSI-RG/580/07/2017, दिनांक-04.08.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-11717 दिनांक-11.09.2017, 12479 दिनांक-26.09.2017, 12560 दिनांक-03.10.2017 और 12590 दिनांक-03.10.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयगत संदर्भ में भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक-05.10.2017 को काँटी थर्मल पॉवर प्लांट, मुजफ्फरपुर का भ्रमण निर्धारण था। इस संबंध में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना का नवीनगर, औरंगाबाद स्थित नवीनतम तकनीक से युक्त नवीनगर पॉवर जेनरेशन कंपनी का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

साथ ही, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी उनके लिए निर्धारित कार्यक्रम को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना से प्राप्त संदर्भगत प्रस्ताव के आलोक में पूर्व निर्धारित आलोच्य भ्रमण कार्यक्रम को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

क्रम	तिथि	भ्रमण संबंधी व्यवस्था		
		भ्रमण कार्यक्रम	समय/अवधि	व्यवस्थापक/ आयोजक विभाग/कार्यालय
1	03.10.2017	(i)प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग से भेंट -वार्ता	पूर्वाह्न 10:00 से पूर्वाह्न 10:30	जल संसाधन विभाग
		(ii)अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से भेंट -वार्ता	पूर्वाह्न 10:40 से पूर्वाह्न 11:30	
2	03.10.2017	माननीय मंत्री, उद्योग विभाग से भेंट-वार्ता	मध्याह्न 12:00 बजे	उद्योग विभाग
3	03.10.2017	माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग से भेंट-वार्ता	अपराह्न 01:00 बजे	पर्यटन विभाग
4	03.10.2017	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौ-परिवहन संस्थान, पटना से भेंट -वार्ता	अपराह्न 02:00 से 03:00	जल संसाधन विभाग

5	03.10.2017	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग से भेंट -वार्ता	अपराहन 03:30 से 04:30	पथ निर्माण विभाग
6	03.10.2017	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग से भेंट- वार्ता	अपराहन 05:00 से 06:00	ऊर्जा विभाग
7	04.10.2017	नदीनगर पॉवर जेनरेशन कंपनी, औरंगाबाद का भ्रमण	पूर्वाहन 10:00 से अपराहन 02:00	
8	04.10.2017	(i)प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से भेंट वार्ता	अपराहन 02:30 से 03:15	उद्योग विभाग
		(ii)सी आई आई/फिक्की, पटना के प्रधानों से भेंट -वार्ता	अपराहन 03:30 से 06:00	
9	05.10.2017	उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से भेंट -वार्ता	पूर्वाहन 10:00 से 11:00	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
10	05.10.2017	सचिव, पर्यटन विभाग से भेंट -वार्ता	पूर्वाहन 11:15 से अपराहन 12:15	पर्यटन विभाग
11	06.10.2017	नेपाल सीमा पर आमजन की गतिविधि, नेपाल के साथ वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में अवगत होने के निमित्त सीतामढ़ी जिला एवं उक्त जिला बैरगनिया प्रखण्ड का भ्रमण एवं इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पदाधारकों से भेंट	पूर्वाहन 09:00 से कार्यक्रम की समाप्ति तक। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त सुविधानुसार पटना घापसी।	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, सीतामढ़ी

2. घणित संशोधन के आलोक में काँटी थर्मल पॉवर प्लांट, मुजफ्फरपुर का भ्रमण रद्द माना जायेगा।

3. प्रासंगिक विषय की अन्य शर्तें विभागीय पत्रांक-1/ प्र0 वि0-04/2015-सा0प्र0-11717 दिनांक-11.09.2017 के अनुरूप रहेंगी।

(Signature)
4.10.17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-1/ प्र0 वि0-04/2015-सा0प्र0-12652 /पटना-15 दिनांक: 4 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, बाबा गंग नाथ मार्ग, पुराना जे एन यू कैम्पस, बेर सराय, नई दिल्ली-110 067 (ई-मेल -jsfsi2@mea.gov.in) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
4.10.17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापाक-1/ प्र0 वि0-04/2015-सा0प्र0- 12652 /पटना-15 दिनांक: 4 अक्टूबर, 2017
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल विभाग/ प्रधान सचिव, पथ
निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/ मुख्य मंत्री के प्रधान
सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/ सचिव, पर्यटन विभाग/ उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं
निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वे.म.
4.10.17
सरकार के अवर सचिव।

कै.एस./सं-मै.स.

ज्ञापाक-1/ प्र0 वि0-04/2015-सा0प्र0- 12652 /पटना-15 दिनांक: 4 अक्टूबर, 2017
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वे.म.
4.10.17
सरकार के अवर सचिव।